अपहरण, व्यपहरण और अनैतिक व्यापार

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

अपहरण, व्यपहरण और अनैतिक व्यापार

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

अपहरण

भागवन्ती का एक पाँच साल का बच्चा है रामू। एक दिन रामू गाँव के तालाब के किनारे खेल रहा था। कुछ आदमी आए और रामू को वहाँ से उठा कर ले गये। रामू का कुछ पता नहीं चला। भागवन्ती और उसके पति ने आस–पास के गाँवों में पता लगाया। पता चला कि वे आदमी शहर की तरफ निकल पड़े थे। भागवन्ती और उसके पति ने सोचा – अब तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी ही गलती है कि रामू का ध्यान न रखा। हमारी किस्मत ही खराब है। शहर से रामू के मामा आये।

उन्होंने कहाः दीदी, यह किस्मत की बात नहीं, कानून की बात है।

भागवन्ती बोली : कानून की बात ? वह कैसे ?

किसी नाबालिग लड़के (जिसकी उम्र 16 साल से कम है) और नाबालिग लड़की (जिसकी उम्र 18 साल से कम है) को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है। इसके लिए अपराधी को सात साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।

किसी बच्चे को ज़बरदस्ती ले जाना अपराध है।

लेकिन अपराधी कैसे पकड़ा जायेगा ?

जब कोई ऐसा अपराध हो तो *पुलिस को इत्तला देनी चाहिए।*

पुलिस को क्या–क्या बताना चाहिए?

पुलिस को बताएँ

- *बच्चे का नाम,*
- *बच्चे की शक्ल–सूरत व पहनावा,*
- *बच्चे की कुछ विशेषताएँ जैसे जन्म के या चोट के निशान,*
- *अपना नाम व पता।*

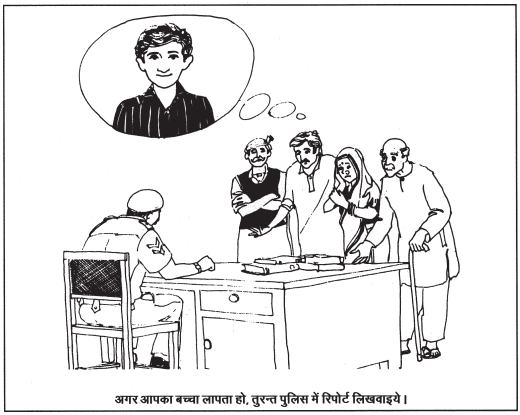

अगर आपका बच्चा लापता हो, तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइये।

❖ यदि किसी पर शक हो तो उसका नाम, हुलिया, इत्यादि भी लिखवाना चाहिए।

पुलिस को यह सब सूचना बच्चे या बच्ची के लापता होने के *तुरन्त बाद देनी चाहिये।*

भागवन्ती बोली : क्या हमारा रामू नाबालिग है ?

हाँ! उन पर माता पिता या संरक्षक का अधिकार होता है। 18 साल से छोटी लड़की नाबालिग होती है। क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से कम है इसलिए उसे तुम्हारे संरक्षण में से ले जाना अपराध है। *कोई अगर बहला–फुसला कर भी बच्चों को ले जाए, तो कहने को तो बच्चा अपनी मर्जी से गया। लेकिन कानून में वह अपराध होगा।*

रामू के पिता बोले : संरक्षक माने कौन ?

संरक्षक माने, माता–पिता या बच्चे का पालक। अगर आप रामू को छुट्टियों में मेरे घर छोड़ जाते हो, तो मैं उसका संरक्षक कहलाऊंगा। *जो बालिग हो, उनका संरक्षक नहीं होता। वे अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं।*

रामू के पिता ने फिर पूछा : कई बार जाने पहचाने लोग ही संरक्षक की आज्ञा लेकर ही बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन बाद में धोखा करते हैं। क्या कानून ऐसे लोगों को कोई दण्ड नहीं देता?

मामा बोले : हाँ, जरूर देता है। आपको हमारे गाँव की लाजो मौसी की बात याद है ? उनके पड़ोसी थे मोहन चाचा जो शहर में नौकरी करते थे। जब गाँव आये तो लाजो मौसी से बोले, कि अपनी बेटी लीला को मेरे साथ भेज दो, वहाँ बढ़िया नौकरी दिलवा दूँगा। तुम्हें भी 500 रूपए महीने के भेजेगी। मौसी मान गई। शहर में जाकर मोहन चाचा ने लीला को एक कोठे पर बेच दिया। एक दिन लीला वहाँ से भाग निकली और एक पुलिस की सहायता से वापस गाँव पहुँची। पुलिस ने मोहन चाचा को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमें में चाचा बोले–लीला की माँ ने ही उसे मेरे साथ भेजा था मुझे सजा क्यों ? कोर्ट ने कहा, कि लीला को ले जाने से मोहन चाचा ने अपराध किया था क्योंकि :–

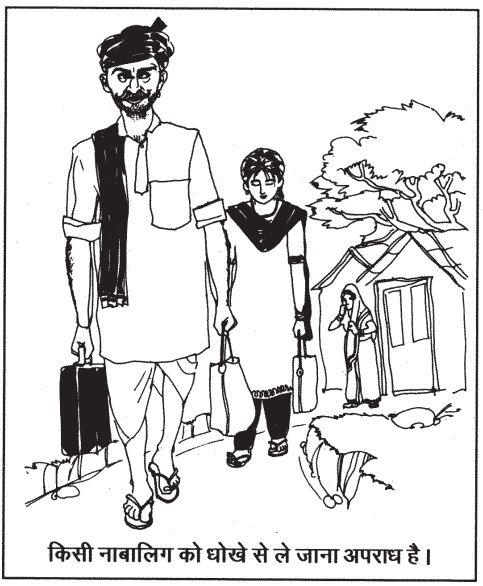

किसी नाबालिग को धोखे से ले जाना अपराध है।

- ❖ लीला नाबालिग थी,
- ❖ मोहन धोखे से उसकी माँ की आज्ञा लेकर उसे ले गया,
- ❖ मोहन ने लीला को कोठे पर बेचा

किसी लड़की को वेश्या का काम करवाने के लिये बेचना

कानूनी अपराध है जिसकी सजा है दस साल तक की कैद और जुर्माना। एक कानून है जिसका नाम है **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956।** *यह कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यौन संबंध के मकसद से भगा कर ले जाना या बेचना कानूनी अपराध है। इसकी सजा तीन साल से चौदह साल तक की कैद और जुर्माना है।*

मामा ने कहा : बाकी बातें बाद में हो जायेंगी। चलो पहले चलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करें। थाने जाकर रामू के पिता ने रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रामू की एक फोटो भी मांगी। कुछ दिन बाद, एक हवलदार उनके घर आया और बोला–

किसी नाबालिग को धोखे से ले जाना अपराध है।

आपको थाने में बुलाया है। रामू के पिता और मामा जब थाने पहुँचे तो थानेदार साहब के पास रामू बैठा था। कमजोर और बेहद डरा हुआ रामू। उसके साथ अपहरण करने वालों ने बहुत बुरा सलूक किया था। वे लोग बच्चों को पकड़कर भिखारी बनाने का धंधा करते थे। थानेदार साहब ने कहा – यह तो अच्छा हुआ कि आपने

रिपोर्ट लिखवाई और फोटो भी दे दी। हमने सभी थानों में यह सूचना दे दी। एक शहर में कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। एक हवलदार ने रामू को रोते देख कर पूछताछ की। साथ के बच्चों ने डरते–डरते बताया कि उन्हें बहुत मारा गया है। कुछ के हाथ–पाँव काट दिये गये। पुलिस वालों ने उन आदमियों के अड्डे पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। *अब वे अपराधी सब दस–दस साल तक जेल में हैं। जिन आदमियों ने बच्चों के हाथ–पैर काटे थे, उन्हें तो उम्र कैद हो गई है।* रामू के पिता ने थानेदार साहब को धन्यवाद दिया और घर लौटने लगे। थानेदार साहब बोले, सभी को कुछ बातें अवश्य याद रखनी चाहिए :–

- *बच्चों को अपना, माता–पिता और गाँव का नाम, पता व फोन नम्बर सिखाना चाहिये।*
- *बच्चों के साथ घर व स्कूल में अच्छा सलूक करना चाहिये ताकि वे घर से न भागें और लालची और निर्दयी इन्सानों के हाथों में न पड़ें।*
- *बच्चों को अनजाने व्यक्तियों से सावधान रहने को बताना चाहिये। उन्हें सिखाना चाहिये कि किसी अनजान व्यक्ति से कभी मिठाईयाँ, खिलौने इत्यादि नहीं लेने चाहियें। कोई जबरदस्ती करे, तो शोर मचाना चाहिए।*
- *कोई ऐसी घटना हो जाये, तो तुरन्त पुलिस को खबर करनी चाहिये।*
- किसी भी नाबालिग व्यक्ति (जिसकी उम्र 16 साल से

ज्यादा और 18 साल से कम है) को वेश्यावृति के लिए भगाया या बेचा जाता है तो *अपराधी को 7 से 14 साल की सजा हो सकती है।*

- किसी भी नाबालिग व्यक्ति को वेश्यावृति के लिए बेचना कानूनी अपराध है इसके लिए *अपराधी को 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।*
- किसी व्यक्ति का भीख मांगने के उद्देश्य से अपहरण किया जाता है तो *अपराधी को 10 साल की सजा और जुर्माना देना होगा।*
- किसी भी नाबालिग व्यक्ति से भीख मंगवाने के उद्देश्य से अंग भंग करना एक कानूनी अपराध है और इसके लिए *अपराधी को उम्र कैद की सजा और जुर्माना हो सकता है।* भारतीय दण्ड संहिता, 1860

अब रामू के घर में बहुत खुशियाँ मनाई गई। आस–पड़ोस में लड्डु बाँटे गये।

रामू की माँ जब रेहाना के यहाँ गई, तो रेहाना की आँखों में आँसू थे। वह कहने लगीः बहन, तुम पर अल्लाह की बहुत इनायत है, तुरन्त बच्चा मिल गया। कानून और पुलिस से तुम्हें सहायता मिली। सुना है छोटे बच्चों को ढूँढने में कानून मदद करता है। काश मेरी रफीका भी 20 साल की न होती, छोटी होती तो उस निकम्मे जावेद से बच जाती। तुम्हें तो पता है हम पर क्या गुजरी है। दो महीने पहले जावेद, जो हमारा रिश्तेदार भी है,

रफीका को धोखे से भगा ले गया। यह कहकर गया कि वह उसे सिलाई के स्कूल में दाखिला दिलाने ले जा रहा है। पहले वह उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। हमने मना कर दिया क्योंकि जावेद तो अनपढ़ और निकम्मा है। रफीका को वह शहर ले गया। अब वह हमें पिटवाने की धमकियाँ देता है। वह रफीका को घर से बाहर नहीं निकलने देता। हम अपनी दुःखी बेटी के लिये कुछ नहीं कर सकते। वह भी डर के मारे कोई कदम नहीं उठाती। उसे तो जावेद ने बरबाद कर दिया है।

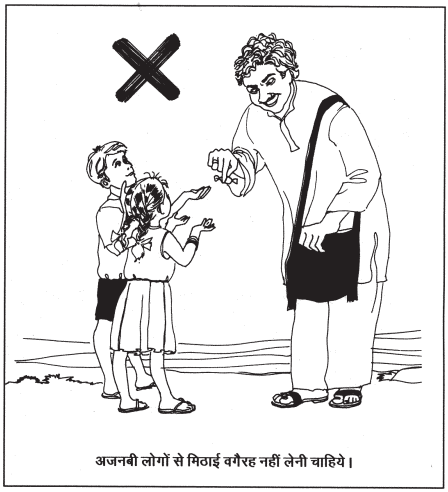
अजनबी लोगों से मिठाई वगैरह नहीं लेनी चाहिये।

यह सब सुनकर रामू की माँ का भी दिल भर आया। उसने मासूम रफीका की मदद करनी चाहिये। घर जाकर उसने अपने भाई से फिर सलाह ली। वे बोले, मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर थानेदार जी अच्छे हैं, जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। अगले दिन वे थानेदार जी से मिलने गये। थानेदार जी ने बताया :

- *किसी लड़की को जबरदस्ती शादी करने के लिए ले जाना व्यपहरण का अपराध है। इसकी सजा भी दस साल तक की कैद और जुर्माना है।*
- *किसी व्यक्ति को भी जबरदस्ती अपने कब्जे में रखना भी एक कानूनी अपराध है जिसकी सजा है तीन साल तक की*

कैद और जुर्माना।

❖ *किसी बालिग व्यक्ति को जबरदस्ती या धोखे से किसी जगह ले जाना व्यपहरण का अपराध है।*

किसी को भी जबरदस्ती अपने कब्जे में रखना अपहरण है।

थानेदार जी ने कहा कि आपकी बातों से लगता है कि जावेद ने ये सभी जुर्म किये हैं। हम इस मामले की छानबीन जरूर करेंगे। जावेद पर फौजदारी मुकदमा किया जायेगा। उसे अपने किये गये अपराधों के लिये सजा भी मिलेगी और रफीका को भी बचाया जायेगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोग, बच्चों और महिलाओं को नौकरी या कोई और लालच देकर भगा कर ले जाते हैं, फिर उनसे बाद में वेश्यावृति करवाते हैं। यह **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** के तहत कानूनी अपराध है।

रमा एक गरीब किसान रामधन की बेटी है। उनके पड़ोस में एक शांति नाम की औरत रहने आई। उसने रामधन से कहा कि वह शहर में कई लोगों को जानती है, और वह रमा को वहां किसी जगह पर काम पर लगवा देगी। रामधन मान गया और उसने रमा को शांति के साथ शहर भेज दिया। शांति ने रमा को शहर में एक कोठे पर 10,000 रूपये में बेच दिया।

यह एक कानूनी अपराध है।

- किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृति के मकसद से भगा कर ले जाना या बेचना कानूनी अपराध है और इसके लिए *अपराधी को 3 से 7 साल की सजा और 2000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है।*

- किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध वेश्यावृति के मकसद से भगा कर ले जाया जाता है या फिर बेचा जाता है तो *अपराधी को 7 से 14 साल की सजा और जुर्माना या दोनों देना होता है।*

- किसी बच्चे को जिसकी उम्र 16 साल से कम है अगर वेश्यावृति के लिए भगाया जाता है तो *अपराधी को 7 साल से उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।*

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in

स्रोत : नई दिल्ली